राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–द्वितीय, जयपुर

योजना की प्रारम्भ तिथि 07.08.2019

मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना के पूर्व पंजीकृत आवेदक एवं आम जनता के लिए नकद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की अन्तिम तिथि 06.09.2019

खुली बिक्री योजना हेतु उपलब्ध फ्लैटों का विवरण

क्र. सं.	अपार्टमेन्ट का नाम	कुल फ्लैट	लागत (रूपये में)	फ्लैट नम्बर
	मध्यम आयवर्ग–ब			
1	शिवम अपार्टमेंट (एस+3), सैक्टर–07 प्लिंथ क्षेत्रफल **107.823** वर्गमी. चार्जेबल क्षेत्रफल **67.963** वर्गमी.	01	46,70,200	70/B-307 (3F)
2	भृगु अपार्टमेंट (बी+एस+9), सैक्टर–01 प्लिंथ क्षेत्रफल **112.920** वर्गमी. चार्जेबल क्षेत्रफल **53.930** वर्गमी.	29	75,92,600	12/B-103 (1F), 12/B-201,202,203 (2F), 12/B-302,303 (3F), 12/B-402,403 (4F), 12/B-503 (5F), 12/B-603 (6F), 12/B-702, 703 (7F), 12/B-801 (8F), 12/B-903 (9F), 12/B-1001,1002,1003 (10F), 12/B1-103 (1F), 12/B1-303 (3F), 12/B1-401,402,403 (4F), 12/B1-503 (5F), 12/B1-601 (6F), 12/B1-701,703 (7F), 12/B1-801,803 (8F), 12/B1-901 (9F),
3	द्वारका अपार्टमेन्ट (एस+9), ब्लॉक– ए, बी, सी, डी, आई प्लिंथ क्षेत्रफल **91.720** वर्गमी. चार्जेबल क्षेत्रफल **47.530** वर्गमी.	115	50,29,300	DWA/A-102,103,104 (1F), DWA/A-202,203 (2F), DWA/A-302,303 (3F), DWA/A-502,504 (5F), DWA/A-601,602 (6F), DWA/A-701,702,703 (7F), DWA/A801,802,803 & 804 (8F), DWA/A-901,903 (9F), DWA/B-101,104 (1F), DWA/B-301,302 (3F), DWA/B-403 (4F), DWA/B-601,603,604 (6F), DWA/B-701,702,703 (7F), DWA/B-801,802,803 (8F), DWA/B-902,903,904 (9F), DWA/C-102,104 (1F), DWA/C-202 (2F), DWA/C-301,302,303,304 (3F), DWA/C-401,403 (4F), DWA/C-501,502,504 (5F), DWA/C-601,602,604 (6F), DWA/C-701,702 (7F), DWA/C-801,802,803,804 (8F), DWA/C-901,902,904 (9F), DWA/D-101 (1F), DWA/D-201,203 (2F), DWA/D-302,303 (3F), DWA/D-401,402,403 (4F), DWA/D-501,503 (5F), DWA/D-601,602,603 (6F), DWA/D-701,703,704 (7F), DWA/D-901,903 (9F), DWA/I-101 to 104 (1F), DWA/I-201 to 204 (2F), DWA/I-301 to 304 (3F), DWA/I-401 to 404 (4F), DWA/I-501 to 504 (5F), DWA/I-601 to 604 (6F), DWA/I-701 to 704 (7F), DWA/I-801 to 804 (8F), DWA/I-901 to 904 (9F)

क्र. सं.	अपार्टमेन्ट का नाम	कुल फ्लैट	लागत (रूपये में)	फ्लैट नम्बर
	<u>उच्च आय वर्ग</u>			
4	द्वारका ट्वीन्स (बी+एस+9) सैक्टर–12 प्लिंथ क्षेत्रफल **137.950** वर्गमी. चार्जेबल क्षेत्रफल **52.340** वर्गमी.	11	58,64,800	DWT/A-102,104 (1F), DWT/A-301,303 (3F), DWT/A-502,503,504 (5F), DWT/A-702,704 (7F), DWT/A-902,904 (9F),
	द्वारका ट्वीन्स (बी+एस+9) सैक्टर–12 प्लिंथ क्षेत्रफल **135.770** वर्गमी. चार्जेबल क्षेत्रफल **52.340** वर्गमी.	8	57,92,000	DWT/A-201,202 (2F), DWT/A-402,403 (4F), DWT/A-602,603,604 (6F), DWT/A-801 (8F),
5	वी.टी. अपार्टमेंट (स्टिल्ट+9), सैक्टर–05 प्लिंथ क्षेत्रफल **152.540** वर्गमी. चार्जेबल क्षेत्रफल **69.800** वर्गमी.	01	91,84,800	53/A1-902 (9F)

<u>नियम एवं शर्तें :–</u>

A. यह खुली बिक्री योजना दिनांक **07.08.2019** से दिनांक **06.09.2019** तक खोली जावेगी ।

B. फ्लेट्स का आवंटन ''**पहले आओ –पहले पाओ**'' के आधार पर किया जावेगा।

C. किसी भी आयवर्ग का आवेदक एक या एक से अधिक फ्लेट्स क्रय करने हेतु स्वतंत्र है।

D. पूर्व में मण्डल द्वारा आवास/फ्लेट्स आवंटित होने पर भी आवेदक इस योजना में फ्लेट्स क्रय करने हेतु पात्र है।

E. इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट्स क्रय करने हेतु कोई पात्रता लागू नहीं है।

F. इस योजना के आवेदन फॉर्म दिनांक **01.8.2019** से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से राशि रू. **300/– एवं इस पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी, इस प्रकार कुल 354/–** रूपये नकद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इस योजना में फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 3.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे एवं आवंटन हेतु गठित समिति के द्वारा फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदनकर्ताओं के समक्ष सांय 4.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा। एक फ्लैट के लिए एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जावेगा। असामान्य परिस्थिति होने पर पृथक कार्यक्रम अनुसार लॉटरी आयोजित करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।

G. इस योजना में किसी भी आयवर्ग का आवेदक फ्लैट्स आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन फार्म पर आवेदक को पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटेरी पब्लिक से आवेदन फार्म व फोटो सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं प्रस्तावित फ्लैटों का आवंटन ''जहाँ है जैसे है'' उसी स्थिति में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।

H. सामान्य पंजीकरण योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदक की जमा पंजीकरण एवं अन्य राशि का समायोजन आवंटन पत्र जारी करते समय किया जावेगा।

I. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पहचान एवं पते के प्रमाण स्वरूप फोटोयुक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड इत्यादि में से किसी एक की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

J. इस योजना में मानसरोवर योजना जयपुर की सामान्य पंजीकरण योजना के पूर्व पंजीकृत आवेदको को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में पंजीकरण की राशि का अभी तक रिफण्ड प्राप्त नहीं किया है । पूर्व पंजीकरण के विरूद्व कोई आवास/फ्लैट आवंटित नहीं हुआ है तथा इसे किसी अन्य योजना में स्थानान्तरित नहीं करवाया गया है । पंजीकरण से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पूर्व पंजीकरण से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नही कराने पर फ्लैट का आवंटन अपंजीकृत आवेदक मानकर किया जावेगा।

K. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ ''राजस्थान आवासन मण्डल'' के पक्ष में निम्नानुसार देय राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा :–

क्र. स.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि (रूपये)	पूर्वग्रहण राशि (रूपये)	कुल देय राशि (रूपये)
1	मध्यम आय वर्ग (ब)	80,000.00	70,000.00	1,50,000.00
2	उच्च आय वर्ग	1,20,000.00	1,00,000.00	2,20,000.00

L. फ्लैट का आवंटन पत्र नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि एवं मण्डल द्वारा नियमानुसार देय ब्याज (यदि कोई हो तो) का समायोजन किया जावेगा तथा फ्लैट की शेष लागत राशि में निम्न अतिरिक्त राशियॉ पृथक से देय होगीः–

1. एक वर्ष की अग्रिम लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जेज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ) व मध्यम आय वर्ग (ब) के लिए 2 प्रतिशत एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जी+3 से अधिक बहुमंजिले फ्लैटो में खुली/खुली कवर्ड पार्किंग के लिए कुल लागत का 2.5 प्रतिशत एवं स्टिल्ट/बैसमेन्ट पार्किंग के लिए कुल लागत का 5 प्रतिशत राशि पृथक से देय होगी। पार्किंग का नम्बर आवंटन पत्र में अंकित किया जावेगा। जी+3 से अधिक बहुमंजिले फ्लैटों में परिसर के रख–रखाव हेतु रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी चार्जेज नियमानुसार पृथक से देय होंगे।
3. आवंटन पत्र में वर्णित ए.एस.सी. चार्जेज, लीजराशि, लीगल चार्जेज एवं नक्शे की राशि पर जी.एस.टी. चार्जेज पृथक से नियमानुसार देय होगें।
4. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन नियमानुसार लागू होंगे।
5. आवंटन पत्र में दर्शायी गई मॉंग राशि, आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। आवंटन पत्र अनुसार देय मॉग राशि जमा नही कराने पर आवंटित फ्लैट को निरस्त कर दिया जावेगा। साथ ही पूर्व पंजीकृत आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदक की जमा पंजीकरण राशि में से मण्डल नियमानुसार 20 प्रतिशत की राशि जब्त कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
6. इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों को फ्लेट न मिलने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराया गया मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जावेगा । आवेदक उप आवासन आयुक्त के कार्यालय से अपना मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट व्यक्तिशः प्राप्त कर सकते है।
7. आवेदक स्वंय की इच्छुनसार फ्लेट्स क्रय करने हेतु आवेदन पत्र में वरीयतानुसार तीन फ्लेट्स के नम्बर विकल्प स्वरूप अंकित कर सकता है।
8. एक ही फ्लैट के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्न वर्णित वर्षवार वरीयता के आधार पर फ्लैट का आवंटन किया जावेगा :–
   - मनसरोवर योजना के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष के अनुसार वरीयता ।
   - मानसरोवर योजना के एक ही पंजीकरण वर्ष के एक से अधिक पूर्व पंजीकृत आवेदक होने की स्थिति में आवंटन लॉटरी द्वारा ।
   - अपंजीकृत आवेदकों को पूर्व पंजीकृत आवेदकों के पश्चात वरीयता।

M. प्रस्तावित फ्लैटों का आवंटन **''जहाँ है जैसे है''** उसी स्थिति में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।

N. किसी भी विवाद की स्थिति में खुली बिक्री योजना में सम्मिलित फ्लैट को विलोपित किया जा सकता है।

O. इस योजना के नियम एवं शर्ते राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निम्न कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता हैं।

सम्पर्क सूत्र

1 उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर (0141–2782772)

2 आवासीय अभियन्ता, खण्ड – षष्ठम, हीरापथ मानसरोवर, जयपुर (0141–2782531)

3 आवासीय अभियन्ता, खण्ड – नवम, कावेरी पथ मानसरोवर,, जयपुर (0141–2392532)

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,